प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2013-14/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub:- Forwarding of Grant of DR at 90% w e f 01.07.2013 to Bihar pensioners

Ref:- 1. Bihar Govt. Resolutions No 3A-3-Allowances-08/2012-10556/V dt 09.10.2013

2. AG (A&E)-II Bihar, No Pen IX-Spl Seal Authority No 925 dt 25.10.2013

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E)II, Bihar, Patna in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
1. Joint Director,
Pension Payment Office,
Jambagh, M J Road
Nampally,
HYDERABAD

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2013-14/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub:- Forwarding of Grant of DR at 90% w e f 01.07.2013 to Bihar pensioners

Ref:- 1. Bihar Govt. Resolutions No 3A-3-Allowances-08/2012-10556/V dt 09.10.2013

2. AG (A&E)-II Bihar, No Pen IX-Spl Seal Authority No 925 dt 25.10.2013

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E)II, Bihar, Patna in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

-(Sd/-)
Sr Accounts Officer

Copy To

1. Joint Director, Pension Payment Office, Jambagh, M J Road Nampally, HYDERABAD for information and necessary action.

2. The Accountant General (A&E)
Bihar
Birchand Patel Path
PATNA
800001

WITH A REQUEST TO ARRANGE TO FORWARD THE ENGLISH VERSION OF THE PRESENT GOVERNMENT ORDER AND ALL FUTURE GOVERNMENT ORDERS

Sr Accounts Officer

127288075
~~NOV~~ 1/11
Spl Seal
PM

299809
18/11/13

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. Pen-IX-Spl. seal Authority No:- 925 Dated – 25/10/13

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय
O/o PR. AG (A&E) A.P.
INWARD
08 NOV
G.No.
आं. प्र. हैदराबाद-500 004.
HYDERABAD-500 004.

To,

The Accountant General (A&E) – 1
Andhra Pradesh,
Hyderabad-500463

Sub: Grant of Dearness relief of State Government Pensioners,
Bihar Govt. Resolution No.
Dated

(1) Increased to DA 80% to 90%.
(2) बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पद्मनाभन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पेंशनधारियों को अतिरिक्त पेंशन की राशि के संबंध में

I am to forward herewith Hindi/English version of copies of Govt. of Bihar. Finance Deptt. Resolution No. .... Dated .... for your needful action.

You are requested to circulate this order to all Treasuries/Sub-Treasuries and Public Sector Banks in your Jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same with enclosure.

(1) संख्या-3ए-3 वे०पु०(भत्ता)-08/2013-10556 दिनांक 09/10/2013
(2) संख्या-3ए-2 वे०पु०-12/2009 (भाग-11) 7514/वि०(2) दिनांक 23.7.2013

Encl: Copies of Bihar Govt.
Resolution No.
Dated:

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

Memo No. Pen-IX-Spl.-Bihar Date

Copy forwards for information and necessary action to:

1. Joint Secretary to the Govt. of Bihar. Finance Deptt.. Patna.
2. General Secretary. Bihar Pensioner Samaj. Vidya Vasini Sadan. North Sri Krishna Puri. Patna-800013.
3. Accounts Officer I.T.A./Pension-I.

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna.

PM

संख्या-3ए-3-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-**10556**-वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

A.G.B.
10 OCT 2013
PATNA

संकल्प

पटना,दिनांकः-**09/10/2013**

विषयः- राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक-01/07/2013 के प्रभाव से 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5358, दिनांक- 27/05/2013 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2013 के प्रभाव से 80 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप-एफ० नं०-42/13/2012-P&PW(G) दिनांक-03/10/2013 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2013 के प्रभाव से मंहगाई राहत की दर को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि-

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2013 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) मंहगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा ।

(iii) मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।

Pen-01
10/10

17/013 H 0126

Urgent placirculate
Sm VSD
WB 21/10/13

4. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवा[illegible] पानेवाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं0– 3556 दिनांक–09/05/[illegible] में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों [illegible] मंहगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है । उक्त स्थिति को छोड़कर मंहगाई राहत शेष पेंशनभोगियों को देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवा निवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है । साथ ही कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

6. दिनांक–01/07/2013 के प्रभाव से स्वीकृत मंहगाई राहत के भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी ।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

ह0/–

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक– 3ए–3–वे0पु0 (भत्ता)–08/2013–**10556–वि0** पटना, दिनांकः–**09/10/2013**

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

संख्या-3ए-2-वे०पु०-12/2009 (भाग-II)-7514 /वि0 (2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

दिनांकः-23/07/2013

विषयः- बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 102/1989 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 11/03/2013 को पारित आदेश एवं न्यायमूर्ति पद्मनाभन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के न्यायिक पदाधिकारियों के सेवान्त लाभों में संशोधन के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 14303 दिनांक 22/12/2010 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिश्रमिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया गया थाः-

क्र0सं0	पारिवारिक पेंशनधारी/पेंशनधारी की उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
1.	80-85 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20%
2.	85-90 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30%
3.	90-95 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40%
4.	95-100 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50%
5.	100 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100%

2. सिविल रिट पिटिशन सं0 1022/1989 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 26/07/2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में पुनरीक्षित पेंशन से संबंधित आदेश को छठे केन्द्रीय आयोग की अनुशंसा के क्रम में प्रभावी करने का निदेश दिया गया था ।

3. सेवोत्तर लाभों के संबंध में पद्मनाभन आयोग के प्रतिवेदन में सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों की उम्र के आधार पर पेंशन की राशि में वृद्धि की अनुशंसा की गयी थी जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के विचाराधीन थी ।

4. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की उम्र के आधार पर पेंशन की राशि को निम्नवत् संशोधित करने का निर्णय लिया गया हैः-

क्र0सं0	पारिवारिक पेंशनधारी/पेंशनधारी की उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
1.	70-75 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 10%
2.	75- 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20%
3.	80-85 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30%
4.	85-90 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40%
5.	90-100 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50%
6.	100 वर्ष एवं उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100%

5. वित्त विभागीय संकल्प सं0 14303 दिनांक 22/12/2010 की अन्य शर्तें एवं कंडिकाएँ यथावत् प्रभावी रहेंगी ।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के बिहार राजपत्र के अगले अंक में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव ।

ज्ञापांकः-3ए-2-वे0पु0-12/2009 (भाग-II)-7514 /वि0(2) पटना, दिनांकः-23/07/2013

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव ।

ज्ञापांकः-3ए-2-वे0पु0-12/2009 (भाग-II)-7514 /वि0(2) पटना, दिनांकः-23/07/2013

प्रतिलिपिः-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.7.13

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव ।